लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3647
उत्तर देने की तारीखः 10.12.2019

निजी क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव

3647. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने देश में मेगा निजी कंपनियों में जाति विभेद सूचकांक तैयार किया है विशेषकर जब निजी क्षेत्र में जातिवाद बहुत अधिक है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण शुरू करने के लिए हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है; और
(ङ) यदि हां, तो परामर्श के परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्य योजना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ङ): औद्योगिक संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सकारात्मक कार्रवाई हेतु एक समन्वय समिति गठित की गई थी। अभी तक, इस समन्वय समिति की 9 बैठकें आयोजित की गई हैं। समन्वय समिति की पहली बैठक में यह बताया गया था कि सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर प्रगति हासिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका उद्योग जगत द्वारा स्वयं स्वैच्छिक कार्रवाई करना है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण दिए जाने के संबंध में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का यह अभिमत है कि आरक्षण इसका समाधान नहीं है, अपितु हम सभी स्तरों पर कमजोर वर्गों विशेष रूप से

एससी और एसटी के लिए मौजूदा भर्ती नीति में वृद्धि और विस्तार करने में सरकारी तथा उपयुक्त एजेंसियों के साथ भागीदारी करने तथा इसके साथ-साथ कौशल विकास तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के इच्छुक हैं।

तदनुसार, शीर्ष उद्योग संघो ने समावेशन हासिल करने हेतु शिक्षा, नियोज्यता, उद्यमिता और रोजगार के आस-पास केन्द्रित अपनी सदस्य कम्पनियों के लिए स्वैच्छिक आचार सहिंता (वीसीसी) तैयार की है। उद्योग संघों के सदस्यों द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रवृत्तियां, अवकाश प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा कोचिंग आदि शामिल हैं।

9वीं बैठक में उद्योग संघों से यह अनुरोध किया गया था कि वे इस पहल कार्य, गांवों का अंगीकरण करने, एससी/एसटी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने, अनुसंधान छात्रों को मैरिट छात्रवृत्ति देने और जनजातीय छात्रों के लिए आजीविका मार्गदर्शन कार्यक्रम को संचालित करने तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना का समर्थन करने और उसमें योगदान देने तथा उसके साथ नियोजन की संभावना का पता लगाने के संबंध में अपनी सदस्य कंपनियों के साथ पूर्ण दिवसीय सत्रों का संचालन करने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने के अंतर्गत और अधिक सक्रिय कार्रवाई करें। उद्योग संघों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे एससी/एसटी समुदायों से प्रशिक्षुओं का कम-से-कम 25 प्रतिशत नामांकन करें।

*****